उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
सं0–वे0आ0–1–429 / दस–14–28(एम) / 2007
लखनऊः: दिनांकः: 20 मई, 2014

इस अनुभाग के पत्र सं0–वे0आ0–1–1198 / दस–13–28(एम) / 2007 दिनांक 29 नवम्बर, 2013 के संदर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1–(3) / 2008–ई–II(बी), दिनांक 22 अप्रैल, 2014 की (हिन्दी / अग्रेजी) प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2014 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2 समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5 इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

संख्या–वे0आ0–1–429(1) / दस–2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3. प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
विशेष सचिव।

सं.1(3)/2008-ई-II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 22 अप्रैल, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.01.2014 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 07 अक्तूबर, 2013 के समसंख्यक का.ज्ञा. का अवलोकन करने का निदेश हुआ है जिसके तहत केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते की दरें संशोधित की गई हैं जो पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमानों में अपना वेतन आहरित कर रहे हैं।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.01.2014 से मौजूदा 183 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दी जाएंगी। 03 अक्तूबर, 2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. में दी गईं अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।

(सुभाष चंद)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रति अग्रेषित: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।